संख्या- 329/2015-4443/नौ-5-15-159बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में जनपद मथुरा की नगर पंचायत फरह की पेयजल पुनर्गठन योजना से सम्बन्धित प्रायोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-2761/37/67, दिनांक 15.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा की नगर पंचायत फरह की पेयजल पुनर्गठन योजना से सम्बन्धित प्रायोजना हेतु निर्धारित लागत रू0 723.70 लाख (रू0 सात करोड़ तेइस लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01-जलापूर्ति-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2739/दस-2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-329/2015-4443(1)/नौ-5-15-159बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/मथुरा ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरह जनपद मथुरा ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-23/10/2015

प्रेषण संख्या:-	329
आवंटन आदेश संख्या:-	001-329-2015-4443-9-5-15-159B-2015
अनुदान संख्या:-	37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
	01 - जलपूर्ति
	193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य
	04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
	01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 123299500	10000000 123299500
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 123299500	10000000 123299500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ बत्तीस लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी